30.07.2024 परिवादी द्वारा श्री दिनेश मारू अधिवक्ता उपस्थित।

प्रकरण प्रारंभिक साक्ष्य हेतु नियत है।

प्रकरण का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के अवलोकन से यह दर्शित है कि परिवादी द्वारा धारा 31 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत परिवाद प्रस्तुत किया है।

परिवादी के पक्ष में दिनांक 17.01.2022 को अंतरिम भरण पोषण का आदेश न्यायालय द्वारा किया गया था। जिस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि परिवादी द्वारा प्रस्तुत की गई है। उक्त आदेश दिनांक से प्रत्यार्थी द्वारा भरण पोषण की कोई राशि जमा नही जा रही थी, जिसकी वसूली हेतु परिवादी ने दिनांक 23.07.2023 को उक्त परिवाद प्रस्तुत किया था। यह उल्लेखनीय है कि उक्त परिवाद अंतरिम भरण पोषण राशि वसूली के लिये है, जिसका एम.जे.सी.आर में पंजीयन किया जाना उचित प्रतीत होता है।

प्रकरण प्रारंभिक साक्ष्य हेतु नियत है। प्रकरण को एम.जे.सी.आर में पंजीबद्ध किये जाने हेतु कोई साक्ष्य की आवश्यकता नही है। अतः उक्त परिवाद एम.जे.सी.आर में पंजीबद्ध किया जावे।

प्रकरण का परिणाम संबंधित पंजी में दर्ज कर एम.जे.सी.आर पत्रावली में संलग्न किया जावे।

सही/–
(रूही एजाज मेव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
मनावर, जिला धार (म.प्र.)